27 जुलाई, 2020 सरकारी आदेश 2020-50

कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश
(कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 46)

चूँकि, कुछ ही समय में कोरानावायरस बीमारी 2019 (COVID-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, ने शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गया है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, लक्षणहीन लोग वायरस को संचारित कर सकते हैं, और इस समय कोई भी प्रभावी उपचार या वैक्सीन नहीं है; और,

जबकि, मैं जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), ने इलिनॉय के गवर्नर, के प्राधिकार से कोरोना वायरस बीमारी 2019 (COVID-19) के प्रकोप के प्रतिक्रिया स्वरूप 9 मार्च 2020 (गुबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन) को राज्य की सभी काउंटी को आपदा क्षेत्र घोषित किया है; और,

चूँकि, कुछ ही समय में कोविड-19 शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गया है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उद्दिनांकित और दृढ़ मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है; और,

जबकि, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मैं समझता हूं कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; तथा,

जबकि, 1 अप्रैल, 2020 को,मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव के कारण, आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 30 अप्रैल, 2020 को, चूंकि कोविड-19 (COVID-19) का प्रसार जारी रहने और संपूर्ण राज्य में परिणामी स्वास्थ्य प्रभावों के कारण, और अस्पताल शैया, ICU शैया, वेंटिलेटरों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और विषाणु यानि वायरस के परीक्षण की सामग्री की संभावित कमी को दूर करने के लिए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था; और,

जबकि, 29 मई, 2020 को, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के कारण हुई हजारों मौतों, मामलों में लगातार वृद्धि, अस्पताल शैयाओं, ER शैयाओं और वेंटिलेटरों की कमी का ख़तरा लगातार बने रहने, और पहले से बेहतर पर अभी-भी अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, और विषाणु यानि वायरस के कारण हुए आर्थिक विनाश के कारण, मैंने पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 26 जून, 2020 को, अस्पताल संसाधनों पर जारी बोझ के कारण, कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने के कारण, स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को एक बार पुनः आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 24 जलाई, 2020 को, कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को एक बार पुनः आपदा क्षेत्र घोषित किया था (इस कार्यकारी आदेश में स्पष्ट की गईं पिछली उद्घोषणाओं, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के साथ); और,

जबकि, राज्य की बहुत सी काउंटियों (गैलाटिन, यूनियन, सेंट क्लेयर, कैस, हार्डिन, सलाइन, जैक्सन, रैंडोल्फ, जो डेविस, एडम्स, कोलेस, मैडिसन, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, कंकेकी, रॉक आइलैंड, लोगान, स्कॉट, शेंपेन, व्हाइट, जॉनसन, पियोरिया, पेरी, मोनरो, व्हॉटसाइड, वाशिंगटन, मर्सर, इरकाई, डुपेज, मेकहेनरी, संगमोन , क्लिंटन और लासेल) ने पिछले 10 दिनों में प्रति 100,000 लोगों पर 75 से अधिक मामलों की रिपोर्ट की है; और,

जबकि, सामाजिक दूरी बनाए रखना, जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छह फ़ीट की दूरी बनाए रखनी होती है, हमारे समुदायों में कोविड-19 के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोत्तम रणनीति है;और,

जबकि, COVID-19 के परिणामस्वरूप कुछ जनसमूह अधिक गंभीर रुग्णता का अनुभव करने के उच्चतर जोख़िम में हैं, जिनमें वृद्ध वयस्क एवं गंभीर दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, फेफड़ों के रोग या अन्य मानसिक या शारीरिक स्थितियों से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं; और,

जबकि, इलिनॉय सुधार विभाग ((IDOC) की वर्तमान में 28 आवासीय व सुविधा क्षेत्रों में 31,000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं की आबादी है, इनमें से अधिकांश लोगों, उनकी निकटता और आवास डाइनिंग हॉलों में एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने कारण वे COVID-19 के संक्रमण और प्रसार होने की दृष्टि से विशेष रूप से असुरक्षित हैं; तथा,

जबकि, रोग नियंत्रण केंद्रों (CDC) ने सुधार गृहों और बंदी गृहों, जहां अद्वितीय रूप से स्थित परिवेश होते हैं, में कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट अनुशंसाएं जारी की हैं, जो https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/testing.html पर उपलब्ध हैं; और,

जबकि, CDC यह अनुशंसा करता है कि कोविड (COVID)-पॉज़िटिव व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से बाकी सब से अलग करने और कोविड (COVID)-पॉज़िटिव व्यक्तियों के साथ संपर्क में आ चुके व्यक्तियों को संगरोध (क्वॉरन्टीन) में रखने के लिए, सुधार गृहों को प्रचालन से संबंधित कई कारकों पर विचार करना होगा; और,

जबकि, हालांकि IDOC ने प्रत्येक इकाई में व्यक्तियों की संख्या घटाने के लिए संपूर्ण कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी के दौरान उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, पर इसके पास कोविड-19 (COVID-19) के लक्षणों के साथ, या उसके परीक्षण में पॉज़िटिव आने वाले व्यक्तियों को पृथकवास (आइसोलेशन) और संगरोध (क्वॉरन्टीन) में रखने के लिए आवासीय क्षमता सीमित बनी हुई है; और,

जबकि, काउंटी जेलों के वे व्यक्ति, जो IDOC इकाइयों में स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, में एक-दूसरे से बेहद समीपता एवं संपर्क के कारण, कोविड-19 (COVID-19) के लक्षण हो सकते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं; और,

जबकि, IDOC में काउंटी जेलों से ऐतिहासिक रूप से प्रतिदिन ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन पर दंडनीय अपराधों के दोष सिद्ध हुए हैं और जिन्हें इलिनॉय के न्यायालयों ने IDOC की अभिरक्षा और नियंत्रण में जाने का दंड दिया है; और,

जबकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि IDOC के निदेशक सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन के अनुरूप, IDCO इकाइयों में कोविड-19 (COVID-19) का प्रसार रोकने, और कोविड-19 (COVID-19) से प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठा सकें, IDOC इकाइयों में बंदियों की संख्या में वृद्धि पर रोक लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है;

जबकि, 26 मार्च, 2020 को मैंने सरकारी आदेश 2020-13 जारी किया था, जिसने निदेशक के विवेकाधीन अपवादों के साथ, इलिनॉय की सभी काउंटी जेलों से इलिनॉय सुधार विभाग में सभी प्रवेश स्थगित कर दिए थे; और,

जबकि, सरकारी आदेश 2020-48 में, मैंने सरकारी आदेश 2020-13 दोबारा जारी किया था और उसे 22 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया था;

अत, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) के रूप में मुझे प्रदत्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(8), और 7(12) के अनुसरण में, तथा राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में वर्णित शक्तियों की अनुरूपता में, मैं निम्नलिखित आदेश देता हूं जो 27 जुलाई, 2020 सायं 5:00 बजे से प्रभावी होगा और राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की शेष अवधि तक लागू रहेगा, जो वर्तमान में 22 अगस्त, 2020 तक है:

अनुभाग 1. इलिनॉय सुधार विभाग (IDOC) इलिनॉय काउंटी जेलों से व्यक्तियों के स्थानांतरण स्वीकार करना पुनः आरंभ करेगा। स्थानांतरित किए जा रहे व्यक्तियों, और IDOC के समस्त व्यक्तियों एवं स्टाफ़ का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, काउंटी जेलों से व्यक्तियों के आगमन और अंतर्ग्रहण प्रक्रिया का समय-निर्धारण, IDOC के निदेशक के एकमात्र विवेकाधीन रहेगा। काउंटी जेलों से व्यक्तियों के आगमन का, और IDOC में स्थानांतरण की विशिष्ट प्रक्रिया का समय निर्धारित करने में, निदेशक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित कई कारकों को ध्यान में रखेंगे, जिनमें शामिल हैं - (a) IDOC ग्रहण केंद्रों की क्षमता एवं सुरक्षा, और (b) यह बात कि स्थानांतरित किए जाने वाले व्यक्ति 14 दिनों तक संगरोध (क्वॉरन्टीन) में रखे जा चुके हैं या नहीं, और उस संगरोध (क्वॉरन्टीन) अवधि के बाद, IDOC में अपने स्थानांतरण से पहले कोविड-19 (COVID-19) के परीक्षण में निगेटिव आए हैं या नहीं। IDOC को होने वाले समस्त अनुमोदित स्थानांतरणों में इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (IDPH) के साथ मिलकर IDOC द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल का पालन होगा, उक्त प्रोटोकॉल https://www2.illinois.gov/idoc/facilities/Pages/Covid19Response.aspx पर उपलब्ध है। IDOC के निदेशक काउंटी शेरिफ़ों और आपराधिक न्याय तंत्र के अन्य साझेदारों के साथ समीपता से कार्य करते हुए यह निर्धारित करेंगे कि काउंटी विशेष की जेलों से स्थानांतरण व्यवहार्य है या नहीं और यह सुनिश्चित करेंगे कि दिशानिर्देशों को लागू किया जाए।

अनुभाग 2. सरकारी आदेश 2020-13 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

अनुभाग 3. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया हैं।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 27 जुलाई, 2020 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 27 जुलाई, 2020 को दायर